



## CURRENT AFFAIRS



Argasia Education PVT. Ltd. (GST NO.-09AAPCAI478E1ZH)  
Address: C59 Noida, opposite to Priyagold Building gate, Sector 02,  
Pocket I, Noida, Uttar Pradesh, 201301, CONTACT NO:-8448440231

Date -26 September 2024

### महासागरों की सुरक्षा : उच्च समुद्र में समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और जैव विविधता संरक्षण में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते की भूमिका

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र -3 : पर्यावरण और पारिस्थितिकी : राष्ट्रीय सीमाओं से परे जल प्रदूषण और समुद्री जैव विविधता संरक्षण

**प्रीलिम्स के लिए:**

क्या है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार समझौते से परे जैव विविधता: मुख्य तथ्य। ऊँचे समुद्र क्या हैं? उच्च समुद्र और समुद्री प्रदूषण से बचाव के लिए भारत की क्या नीतियाँ हैं?

**मुख्य परीक्षा के लिए:**

समझौते के प्रमुख प्रावधान और इसके निहितार्थ क्या हैं? भारत के लिए हस्ताक्षरित समझौते का महत्व, चुनौतियाँ और कार्यान्वयन?

**खबरों में क्यों?**

- भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैवविविधता समझौते (बीबीएनजे) पर हस्ताक्षर किए हैं।



## उच्च समुद्रों पर समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता :



### प्रमुख प्रावधान :

**दत्तक ग्रहण:** बीबीएनजे समझौते को 19 जून, 2023 को संयुक्त राष्ट्र के तहत आयोजित अंतर सरकारी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था।

**प्रसंग:** यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) का तीसरा कार्यान्वयन समझौता है।


**संस्थागत व्यवस्थाएँ:** पार्टियों के एक सम्मेलन का निर्माण. सहायक निकायों, एक समाशोधन गृह तंत्र और एक सचिवालय की स्थापना।

**अपवाद:** समझौते में युद्धपोतों, सैन्य विमानों और नौसैनिक सहायकों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। बीबीएनजे में देशों के अपने समुद्री क्षेत्र जैसे प्रादेशिक समुद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) शामिल नहीं हैं।

**प्रकृति:** बीबीएनजे समझौता हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों पर बाध्यकारी समझौता है।

**भारत:** भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिये हैं लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं किया गया है।

**अनक्लोस:** समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) अंतरराष्ट्रीय जल को विनियमित करने वाली संयुक्त राष्ट्र संधि है।




### बीबीएनजे समझौते के उद्देश्य :

1. **संरक्षण और सतत उपयोग:** प्रभावी कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता का संरक्षण और स्थायी उपयोग करें।
2. **समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का उचित बंटवारा:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करें।
3. **क्षेत्र-आधारित प्रबंधन:** महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपायों को लागू करें।
4. **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:** समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करें।
5. **क्षमता-निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** समुद्री प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना और विशेषकर विकासशील देशों के लिए क्षमताएँ बढ़ाना।
6. **क्रॉस-कटिंग मुद्दों को संबोधित करना:** कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण तंत्र स्थापित करने सहित एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से परस्पर जुड़े मुद्दों से निपटें।

### बीबीएनजे के तहत प्रमुख सिद्धांत :

1. प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत
2. मानव जाति की साझी विरासत
3. समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता
4. इक्विटी और उचित लाभ साझाकरण
5. एहतियाती सिद्धांत
6. पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण
7. एकीकृत महासागर प्रबंधन
8. पारंपरिक ज्ञान
9. स्वदेशी अधिकारों का सम्मान
10. प्रदूषण का स्थानांतरण न होना



### बीबीएनजे समझौते का महत्व :

**कानूनी ढांचा:** समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए UNCLOS के दायित्वों को सुदृढ़ करता है।

**जैव विविधता हानि को संबोधित करना:** जलवायु चुनौतियों के बीच जैव विविधता के नुकसान और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से तत्काल निपटना।



**व्यापक वैश्विक व्यवस्था:** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा स्थापित करता है।

**निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना:** एक न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की वकालत करते हैं जो सभी राज्यों, विशेषकर विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करती हो।

**क्षमता-निर्माण सहायता:** विकासशील राज्यों के लिए क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के महत्व पर जोर दिया गया है।

**स्वदेशी अधिकारों का संरक्षण:** अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की पुष्टि करता है।

**पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:** राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य करता है।

**प्रदूषण निवारण:** प्रदूषण को उनके संप्रभु अधिकारों से परे फैलने से रोकने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी को मान्यता देता है।

**महासागर प्रबंधन:** भावी पीढ़ियों के लिए समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार समुद्री प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है।

**डिजिटल अनुक्रम सूचना तक पहुंच:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम जानकारी तक पहुंचने और उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

### **बीबीएनजे पर हस्ताक्षर करने का भारत पर प्रभाव :**

**बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिष्ठा:** समुद्री संरक्षण में भारत को अग्रणी स्थान पर स्थापित करना, इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाना।

**समुद्री जैव विविधता का संरक्षण:** भारत के जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग का समर्थन करता है।

**आर्थिक अवसर:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों को साझा करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

**तटीय और द्वीपीय समुदायों के लिए सहायता:** स्वदेशी अधिकारों को स्वीकार करता है, संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों के एकीकरण में भारत की सहायता करता है।

**क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** भारत की समुद्री संसाधन प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने वाली पहलों तक पहुंच प्रदान करता है।

**क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत किया:** समुद्री संरक्षण, विशेषकर हिंद महासागर में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

**जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना:** जलवायु प्रभावों के खिलाफ पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देकर भारत के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के साथ संरेखित।

**संभावित आर्थिक लागत:** इसमें निगरानी और क्षमता निर्माण प्रयासों सहित कार्यान्वयन के लिए वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं।

### **बीबीएनजे समझौते की चुनौतियाँ**

**संसाधन विनियमन संघर्ष:** जीवित संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने से तेल और गैस जैसे निर्जीव संसाधनों में राज्यों के आर्थिक हितों के साथ टकराव हो सकता है।

**राज्य के अधिकारों का उल्लंघन:** समुद्री-संरक्षित क्षेत्र उच्च समुद्र पर राज्यों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे संप्रभुता संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

**क्षेत्र और विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ के बीच तनाव:** महाद्वीपीय शेल्फ सीमाएं परिभाषित होने तक बेनजी के दायरे के बारे में अनिश्चितता कार्यान्वयन में देरी कर सकती है।

**औद्योगिकीकृत राज्यों का ऐतिहासिक प्रतिरोध:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तीय योगदान के प्रावधानों को औद्योगिक देशों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

**लाभों का न्यायसंगत बंटवारा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** लाभों के समान बंटवारे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकताएं अनुपालन में बाधा डाल सकती हैं और राज्यों के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं।

### आगे की राह :

**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** बीबीएनजे समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना।

**भारत की नेतृत्वकारी भूमिका:** समुद्री संरक्षण और सतत उपयोग प्रयासों में भारत को अग्रणी के रूप में स्थापित करना।

**विकसित देशों से वित्तीय सहायता:** कार्यान्वयन में सहायता के लिए विकसित देशों से सुरक्षित वित्त पोषण और समर्थन।

**प्रमुख प्रदूषकों की संलिप्तता:** चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख प्रदूषकों को समझौते पर हस्ताक्षर करने और प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करें।

**स्वदेशी अधिकारों का संरक्षण:** सुनिश्चित करें कि स्वदेशी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें संरक्षण रणनीतियों में एकीकृत किया जाए।

**चरणबद्ध कार्यान्वयन:** कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे क्रमिक समायोजन और क्षमता-निर्माण की अनुमति मिल सके।

**समीक्षा और स्टॉकटेक:** प्रगति का आकलन करने और रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए पेरिस समझौते के समान नियमित समीक्षा तंत्र स्थापित करें।

**विश्वास निर्माण:** संरक्षण प्रयासों के प्रति सहयोग और प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना।

### निष्कर्ष:

बीबीएनजे संधि उच्च समुद्र पर गतिविधियों को सीधे विनियमित करके, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए यूएनसीएलओएस में अंतराल को संबोधित करके अंतरराष्ट्रीय कानून में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। हालाँकि, इसमें चुनौतियाँ भी विरासत में मिली हैं जो सहयोग और अनुपालन में बाधा बन सकती हैं। चूंकि संधि में सामंजस्य स्थापित हो रहा है, इसलिए प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

**स्रोत - ऑल इंडिया रेडियो एवं पीआईबी।**

### प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**Q.1. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता (बीबीएनजे) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:**

1. जैव विविधता समझौता (बीबीएनजे) समझौते का उद्देश्य सभी समुद्री जल में समुद्री प्रदूषण को कम करना है।
2. जैव विविधता समझौता (बीबीएनजे) वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर लागू होता है।
3. भारत ने हाल ही में जैव विविधता समझौता (बीबीएनजे) में सुधार किया है।
4. जैव विविधता समझौता (बीबीएनजे) प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर आधारित है।

**उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?**

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. चारों

उत्तर: A

**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

Q.1. राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौता (बीबीएनजे) समुद्री संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है और बीबीएनजे समझौते के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? विस्तार से बताइए। (शब्द सीमा 250 अंक - 15)

[Dr. Akhilesh Kumar Shrivastava](#)

**PLUTUS IAS**  
UPSC/PCS

# SOCIOLOGY OPTIONAL

ONLINE BATCH  
AVAILABLE AT  
CHANDIGARH

ADMISSION  
OPEN

EVENING BATCH

STARTING FROM

**15<sup>th</sup> OCTOBER 2024 | 4:30-7:00PM**

2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station  
Gate No. - 6, New Delhi 110005

OUR CENTERS **Delhi | Chandigarh | Shimla | Bilaspur**

+91 8448440231 | [www.plutusias.com](http://www.plutusias.com) | [info@plutusias.com](mailto:info@plutusias.com)

PLUTUS IAS  
WHATSAPP CHANNEL

**Dr. Huma Hassan**  
Faculty of Sociology Optional  
Ph.D (Sociology), JNU